संख्या-255/2023/468/22-2-2022-17(433)/2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 29 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री भोपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-7419/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-10-01-2022) दिनांक-09-03-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री भोपाल, जो ग्राम-सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद-मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2021 को समय करीब 7:00 बजे 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सायंकाल ईख के खेत की गुड़ाई कर घर लौट रहे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद सहित 04 व्यक्तियों की कट्टों से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 20 वर्ष, 06 माह की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 01 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 20.08.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने चुनावी रंजिश में दिनांक 29.05.2021 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर खेत की गुड़ाई कर घर लौट रहे 04 व्यक्तियों की तमंचो से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री भोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार (बन्दी संख्या-13335) पुत्र श्री भोपाल, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर को यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत फार्म-ए के आधार पर मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की फार्म-ए/लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-255/2023/468(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-255/2023/468/22-2-2022-17(433)/2016

दिनांक 29 मई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री भोपाल, जो ग्राम-सोहजनी, थाना-जानसठ, जनपद- मुजफ्फरनगर का निवासी है। बन्दी ने चुनावी रंजिश को लेकर दिनांक 29.05.2021 को समय करीब 7:00 बजे 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर सायंकाल ईख के खेत की गुड़ाई कर घर लौट रहे योगेन्द्र, पवन, अनीस व इरशाद सहित 04 व्यक्तियों की कट्टों से फायर कर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-856/2002 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-04, मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 26.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 11.12.2021 तक 20 वर्ष, 06 माह की अपरिहार सजा तथा 24 वर्ष, 01 माह, 04 दिन की सपरिहार सजा पूरी कर ली है। जिला मजिस्ट्रेट, मुजफ्फरनगर की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 20.08.2020 में जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के साक्षात्कार उपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल में आगे और निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बन्दी ने चुनावी रंजिश में दिनांक 29.05.2021 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर खेत की गुड़ाई कर घर लौट रहे 04 व्यक्तियों की तमंचो से फायर कर हत्या करने का जघन्य अपराध किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, जेल में निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजकुमार पुत्र श्री भोपाल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।